

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 77 : ¹[.....]

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 77 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 77 : उलट दिए गए दावों का पुनः दावा करने पर संदत्त ब्याज का प्रतिदाय

धारा 42 की उप-धारा (9) या धारा 43 की उप-धारा (9) के अधीन प्रतिदाय किए जाने वाले ब्याज का दावा **प्ररूप जीएसटीआर-3** में उसकी विवरणी में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसे **प्ररूप जीएसटी पीएमटी-05** में उसके इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा तथा जमा की गई रकम ब्याज के लिए किसी भागीदारी के संदाय के लिए उपलब्ध होगी या कराधेय व्यक्ति धारा 54 के अधीन रकम के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।"